

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्रमांक 1211 / एफ-2-41 / 31 / एस-2 / 2021,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 09/...3/2023

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-दंतेवाड़ा की बालूद एनीकट का तटरक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-1444 / बोधी / तटबंध / AA / 2021 / 7211, दिनांक 02.09.2021.

राज्य शासन एतद् द्वारा दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-दंतेवाड़ा की बालूद एनीकट का तटरक्षण कार्य हेतु राशि रु. 299.47 लाख (रु. दो करोड़ निन्यानबें लाख सैतालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना तटबंध कार्य हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ विस्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विस्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय, [01]-बाढ़ नियंत्रण, {103} सिविल निर्माण कार्य, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य), (6757)-बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 16.01.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग पाण्डेय)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1212/एफ-2-41/31/एस-2/2021,,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 09/3/2023

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग